GENERAL STUDIES HINDI

# www.gshindi.com

# Presents PIB-Magazine: February

## Other products :

# The HINDU Analysis

GENERAL STUDIES HINDI

# English Classes

8800141518

facebook.com/gsforhindi

# WWW.GSHINDI.COM

- **Road Map to Mussoorie** – एक ऐसी रणनीति जिससे UPSC- Pre ही नहीं mains भी पास करे 6 महीनो में
- **Daily Mains Answer Writing**–सीखे उत्तर लिखने की विधि जो मुख्य परिक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है
- **Monthly Magazine**–पूरे महीने की समसामयिक एक साथ
- **Current Affairs** – दिन प्रतिदिन घटनाओं का विश्लेषण
- **RSTV/LSTV**–विशेषज्ञों के वाद विवाद का सार
- **PIB + AIR**–अत्यंत महत्वपूर्ण
- **Online Test (12 tests for Rs. 1500)**–अपनी तैयारी को गुणवत्तापूर्ण टेस्ट्स द्वारा जाचें, ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो सके.

GENERAL STUDIES HINDI

8800141518 facebook/gsforhindi

# PIB COMPILED February 2017

## GS PAPER I

### 1. विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर भारत निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प

**The principle of social justice**

**मार्टिन लूथर किंग** ने कहा था कि जहां भी अन्याय होता है वहां न्याय को खतरा है। यह केवल वैधानिक न्याय के बारे में ही नहीं है। विवेकपूर्ण समाज से समावेशी प्रणाली के लिए रंग, नस्ल, वर्ग, जाति जैसी किसी भी प्रकार की सामाजिक बाधा से परे न्याय सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न हो।

- किसी को भी न्याय से वंचित रखना भी सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। समावेशी समाज से समान अवसर, निष्पक्ष कार्य और किसी को भी वंचित न रखना सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है।
- यह विश्व सामाजिक न्याय दिवस में अंतरनिहित है। सामाजिक विकास के लिए (डब्ल्यूडीएसजे) विश्व सम्मेलन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र आम सभा में प्रतिवर्ष20, फरवरी को डब्ल्यूडीएसजे के तौर पर मनाये जाने का फैसला किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 26 नवम्बर, 2007 को इस निर्णय को मंजूरी दे दी और 2009 से यह दिवस मनाया जाने लगा।
- डब्ल्यूडीएसजे मनाने से गरीबी उन्मूलन, पूर्ण रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा, लैंगिक समानता, सामाजिक कल्याण तक पहुंच और सभी के लिए न्याय के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों को सहायता मिलेगी।
- यह दिवस गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने की आवश्यकता को मान्यता देने का दिन होता है। हमने पाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए सक्रियतापूर्वक कई कार्य कर रही है। हाल ही में वेतन भुगतान अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिससे चेक द्वारा या बैंक खाते में सीधे वेतन ड़ालने के जरिये भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। श्रमिकों के लिए तय किये गये वेतन का पूरा भुगतान सुनिश्चित करना इसका प्रत्यक्ष कारण बताया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि देशों में और राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए सामाजिक न्याय निहित सिद्धांत है। लैंगिक समानता या स्वदेशी लोगों और प्रवासियों के' अधिकारों को बढ़ावा देते समय हम सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर कायम रहते हैं। लिंग, आयु, जाति, नस्ल, धर्म, संस्कृति या विकलांगता के कारण लोगों द्वारा झेली जा रही असमानता की बाधा को दूर कर हम सामाजिक न्याय की ओर बढ़ सकते हैं।
- नये अर्थशास्त्र की मान्यता है कि अर्थव्यवस्था समाज और संस्कृति में घुली मिली होती है जो-पारिस्थितिकी, जीवन रक्षक प्रणाली से जुड़ी होती है और इस अपरिमित ग्रह पर अर्थव्यवस्था हमेशा बढ़ नहीं सकती है।

***Social Justice in India* :---**

- भारतीय समाज वर्षों से समानता और न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहा है। देश के इतिहास में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सबसे समर्पित कुछ लोगों में चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रविदास, स्वामी विवेकानन्द, एम जी रानाडे, वीर सावरकर, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, ताराबाई शिंदे, बहरामजी मलाबारी शामिल हैं। इन समाज सुधारकों के दृढ़ निश्चय और साहस के साथ ही लोगों के प्रबल समर्थन से उन्हें अन्याय के खिलाफ मजबूत कार्रवाई करने का बल मिला।
- भारत सरकार सतत विकास, उचित काम और स्वच्छ नौकरी से संबंधित केवल परिवर्तन के लिए नीतिगत ढांचे को आगे बढ़ाने के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के (आईएलओ)2013 के संकल्प के अनुरूप कार्य कर रही है। आईएलओ के अनुसार महत्वपूर्ण नीतिगत क्षेत्र मेक्रो इक्नॉमिक्स और प्रगति नीतियां, औद्योगिक तथा क्षेत्रीय नीतियां, उद्यम नीतियां, कौशल विकास, व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, श्रम बाजार नीतियां, अधिकार, सामाजिक संवाद और त्रिपक्षीय नीतियां हैं।
- देश के संविधान में सामाजिक न्याय शब्द का उपयोग व्यापक अर्थों में किया गया है जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय दोनों ही शामिल हैं। जैसा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी बी गजेन्द्रगड़कर ने कहा इस मायने में सामाजिक न्याय का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक' गतिविधियों के मामले में प्रत्येक नागरिक को समान अवसरउपलब्ध कराना और असमानता रोकना है।'

***Government efforts for social justice* :-----**

- ❖ 67वीं संयुक्त राष्ट्र आम सभा की तीसरी समिति की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री श्री अनन्त कुमार ने दोबारा कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का पूरा समर्थन करेगा। वह विशेष रूप से का समर्थन करेगा 'संयुक्त राष्ट्र महिला', जिसने अपने गठन के दो वर्ष के भीतर ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
- ❖ भारत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के सभी प्रयासों में भी उनकी सहायता करेगा। गौरतलब है कि लैंगिक समानता 'संयुक्त राष्ट्र महिला', विकास तथा मानक कायम करने के लिए काम करने तथा ऐसा माहौल तैयार करने में विश्व चैंपियन है जहां प्रत्येक महिला और लड़की अपने मानवाधिकार का प्रयोग कर सकती है और अपनी पूरी क्षमता से जी सकती है।
- ❖ सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने के उपाय के तौर पर भारत ने घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम लागू किया है। जिसमें कहा गया है कि शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहित कई रूपों में हिंसा हो सकती है। इस अधिनियम में महिलाओं को परिवार के भीतरवैवाह-िक और पारिवारिक दुर्व्यवहार जैसी हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के वैधानिक प्रावधान है। कानून के अंतर्गत आश्रय, चिकित्सीय सहायता, रखरखाव के आदेश और बच्चों का अस्थायी संरक्षण के रूप में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता की जाती है।
- ❖ काम का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कंपनी अधिनियम में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी लाभ साझा करने में नया पहलू है।
- ❖ केंद्र सरकार के आम बजट में सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय को किए गए वर्ष 2016-17 के लिए बजटीय आवंटन में से लगभग 54 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लगभग (एससी)60 लाख लोगों और 53 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग की (ओबीसी)

मंत्रालय का बजट' छात्रवृत्ति पर खर्च किया गया।2014-15 के 54.52 करोड़ रूपये से लगातार बढ़ते हुए 2017-18 में 69.08 करोड़ रूपये हो गया है।

- ❖ की परिभाषा को और व्यापक किया गया 'अत्याचार' है तथा अनुसूचित जाति की सुरक्षा के लिए जून 2016 में संशोधन किये गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक मामला विभाग का कहना है कि वैश्विक प्रयासों के बावजूद अमीरों का अमीर होना और गरीबों का गरीब बने रहना एक सच्चाई है। इसके अलावा अत्यधिक कम आय पाने वाले अति या पूर्ण गरीब व्यापक पैमाने पर हैं।अब समय आ गया है कि अवसरों के परिणामों पर चर्चा करने से आगे विकास की दिशा में बढा़ जाये और अवसरों के स्वतंत्र वातावरण की रूपरेखा तथा सुसंगत पुनर्वितरण नीतियां सुनिश्चित की जाये, ताकि वैश्विक समाज न्याय संगत बन सके।

## 2. भारत में भाषा विविधता का संरक्षण

भारत दुनिया के उन अनूठे देशों में से एक है जहां भाषाओं में विविधता की विरासत है। भारत के संविधान ने 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है। बहुभाषावाद भारत में जीवन का मार्ग है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में लोग अपने जन्म से ही एक से अधिक भाषा बोलते हैं और अपने जीवनकाल के दौरान अतिरिक्त भाषाओं को सीखते हैं। - हालांकि आधिकारिक तौर पर यहाँ 122 भाषाएं हैं, भारत के लोगों के भाषाई सर्वेक्षण में 780 भाषाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 50 पिछले पांच दशकों में विलुप्त हो चुकी हैं।

### संविधान की अनुसूची में शामिल भाषाएँ

संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त बाईस भाषाओं में असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू और उर्दू को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

### विशेष दर्जा प्राप्त भाषाएँ

इनमें से तीनों भाषाओं **संस्कृत, तमिल और कन्नड़** को भारत सरकार द्वारा विशेष दर्जा और श्रेष्ठ प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इन श्रेष्ठ प्राचीन भाषाओं का 1000 वर्ष से अधिक का लिखित और मौखिक इतिहास है। इन की तुलना में, अंग्रेजी काफी नवोदित है क्योंकि इसका मात्र 300 साल का इतिहास है।

GENERAL STUDIES HINDI

### अन्य भाषाएँ

इन अधिसूचित और प्राचीन भाषाओं के अलावा, भारत के संविधान में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार के रूप में एक अनुच्छेद को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र और किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की विशिष्ट भाषा", लिपि या अपनी स्वयं की संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार होगा।."

### भारत की भाषा नीति और इतिहास

- ➢ औपनिवेशिक शासन के दौरान, पहली बार जॉर्ज ए ग्रियरसन द्वारा 1894 से 1928 के दौरान भाषाई सर्वेक्षण कराया गया था जिसमें 179 भाषाओं और 544 बोलियों की पहचान की गई थी।

प्रशिक्षित भाषाविदों कर्मियों की कमी के कारण इस सर्वेक्षण में कई खामियां भी थीं।

- भारत की भाषा नीति भाषाई अल्पसंख्यकों की रक्षा की गारंटी प्रदान करती है। संविधान के प्रावधान के तहत अल्पसंख्यक समूहों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के हितों की रक्षा की एकमात्र जिम्मेदारियों के लिए भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।
- स्वतंत्रता के बाद, मैसूर स्थित केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान को सूक्षमता के (सीआईआईएल) साथ भाषाओं के सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया था। हालांकि यह कार्य अभी भी अधूरा है।
- 1991 में भारत की जनगणना में 'अलग व्याकरण की संरचना के साथ 1576 सूचीबद्ध मातृभाषाएँ और 1796 भाषिक विविधता को अन्य मातृभाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारत की एक और अनूठी विशेषता अपनी मातृभाषा में ही बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों के हितों की रक्षा करने की अवधारणा है। इसके लिए संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी अधिकारी के द्वारा इसका प्रयास किये जाने का प्रावधान किया गया है। -
- इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा )21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित करने से ( पूर्व ही भारतीय संविधान के संस्थापकों ने मातृभाषाओं में शिक्षण से बच्चे को अपनी पूरी क्षमता के साथ सक्षम बनाने और विकसित करने को शीर्ष प्राथमिकता दी हैं।
- यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र के विश्व मातृभाषा दिवस 2017 के विषय के साथ पूरी तरह से साम्यता रखती है जिसके अंतर्गत शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और साइबर स्पेस में स्वीकार किये जाने के लिए बहुभाषी शिक्षा की क्षमता विकसित करना आवश्यक है।
- 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई सीमाओं का अपना महत्व था। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषायी विशेषताओं के आधार पर राज्यों के गठन और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- भारत की भाषा नीति बहुलवादी रही है जिसमें प्रशासन, शिक्षा और जन संचार के अन्य क्षेत्रों में मातृभाषा के उपयोग को प्राथमिकता दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा ब्यूरो का गठन भाषा नीति को लागू करने और इसपर नजर रखने के लिए किया गया है।
- भारत सरकार ने डिजिटल भारत की अभिकल्पना के तहत जुलाई 2017 से बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोनों में भारतीय भाषाओं की सुविधा को अनिवार्य कर दिया है। इससे न सिर्फ डिजिटल अंतर को समाप्त किया जा सकेगा बल्कि भारत के ऐसे एक अरब लोग, जो अपनी भाषाओं में संपर्क करने में अंग्रेजी नहीं बोलते, को सशक्त बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। इससे बड़ी संख्या में लोगों के ईकॉमर्स का हिस्सा बनने से क्षमता में वृद्धि भी होगी।-गवर्नेंस और ई-
- केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बावजूद, अल्पसंख्यक भाषाएं बहुत से कारणों से अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 7000 साल के इतिहास के साथ बो भाषा के अंतिम वक्ता की मृत्यु होने पर यह विलुप्त हो गई।
- हाल के वर्षों में भाषा विविधता खतरे में है क्योंकि विविध भाषाओं के वक्ता दुर्लभ होते जा रहे हैं और अपनी मातृभाषाओं को छोड़ने के बाद वे प्रमुख भाषाओं को अपना रहे हैं। इस समस्या का समाधान सामाजिक स्तर पर किए जाने की आवश्यकता है जिसमें समुदायों को भाषा विविधता के संरक्षण में शामिल होना होगा जो हमारी सांस्कृतिक संपदा का एक अंग हैं।

# GS PAPER II

## 1. भारत और इटली सरकार ने रेल क्षेत्र में, विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी विषयों पर, तकनीकी सहयोग पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया

- रेल मंत्रालय और इटली की सरकारी क्षेत्र की कंपनी फेरोवाई डेलो इटालियन ग्रुप) एफएस (ने रेल संचालनों में, विशेष रूप से सुरक्षा संबंधी विषयों पर, तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन)एमओयू (पर हस्ताक्षर किया है।

**Objective of MOU*** :- इस एमएयू में सहयोग के जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें भारतीय रेल का सुरक्षा लेखा एवं रेल संचालन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल )एसआईएल 4) के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा उत्पाद एवं प्रणालियों का आकलन तथा प्रमाणीकरण, सुरक्षा पर फोकस के साथ प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, रखरखाव और नैदानिकी आदि में आधुनिक रूझान शामिल हैं। - यह एमओयू भारत सरकार के रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु द्वारा रेल संचालनों में सुरक्षा पर विशेष जोर दिए जाने की पृष्ठभूमि में किया गया है। उन्होंने रेल बोर्ड को इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने और इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों की पहचान करने का निर्देश दिया है।

Ferrovie Dello Stato Italiane Group (FS Group) at a glance* :-- - फेरोवाई डेलो इटालियन ग्रुप )एफएस (इटली सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेजर के तहत काम करती है। इस ग्रुप की इसकी तकनीकी एवं प्रबंधकीय रेलवे विशेषज्ञता के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक ख्याति है और यह हाई स्पीड एवं कंवेशनल पटरियों की डिजाइन एवं रियलाइजेशन, सुरक्षा प्रणालियों, प्रमाणीकरण, प्रशिक्षण एवं संचालन तथा रखरखाव जैसे कई क्षेत्रों में विश्व की सबसे उन्नत कंपनियों में से एक है।

- The whole group currently employs about 69,000 persons and operates more than 7,000 trains per day, carrying over 600 million/year of passengers and 50 million tons of freight on a railway network of more than 16,700 km.
- FS Italiane Group, through its controlled companies, has been working in 5 continents, in more than 60 countries, with branches in : Abu Dhabi, Riad, Muscat, Doha, Istanbul, Alger, Bucharest. FS Italiane has controlled companies in many countries, among the others in France, in Germany, in Serbia.

GENERAL STUDIES HINDI

## 2. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी

- प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना(सीएलएसएस) के तहत मिलने वाले ऋण की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।(ईडब्ल्यूएस/एलआईजी का सीएलएसएस नाम कर दिया गया है)। इसका नाम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या कम आय समूह के लिए सीएलएसएस होगा।
- एमआईजी वर्ग के लिए नए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना को एमआईजी के लिए प्रस्तुत किया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजन(शहरी) के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत प्राथमिक ऋण संस्थानों को अनुमति देने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताज्ञर किए गए हैं। इससे एमआईजी के लिए सीएलएसएस के तहत सही बदलाव हो सकेंगे।

1. इस योजना को युक्तिसंगत बनाने और ऋण आवंटित करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया शुल्क का प्रावधान किया गया है जिसका भुगतान प्राथमिक ऋण संस्थानों के पक्ष में किया जाएगा।
2. प्रस्तावित सीएलएसएस के तहत एमआईजी के लिए शुरुआत में 2017-18 के बजट में इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।और
3. प्रभारी मंत्रालय के अनुमोदन के बाद एमआईजी के लिए सीएलएसएस को लेकर वैकल्पिक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं

**उद्देश्य**

1. मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)-सभी के लिए घर योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के सेगमेंट में उठाव बढ़ाना।
2. मध्यम आय समूह(एमआईजी) तक पहुंच
3. प्राथमिक ऋण संस्थानों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना
4. हाउसिंग और शहरी विकास में हिस्सेदारी के लिए प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रोत्साहित करना
5. फंड, आवश्यक फंड और बजटीय प्रावधान की उपलब्धताऔर
6. प्रक्रिया या क्रियान्वयन कार्यक्रम का स्पष्ट होना

समाज के ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी हिस्सों के बीच इस योजना की पहुंच से 2022 तक सभी के लिए घर का सपना पूरा हो सकेगा। इससे हिस्सेदारी और समग्रता सुनिश्चित होगी। प्रक्रियाओं और योग्यता को लेकर प्राथमिक ऋण संस्थानों के संतुष्ट होने के बाद लाभार्थी के खाते में सब्सिडी और होम लोन का भुगतान कर दिया जाएगा। एमआईजी के लिए प्रस्तावित ब्याज सब्सिडी योजना इस श्रेणी के आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया दृष्टिकोण है

**2. बजट :प्रचार पर कम; वास्तयविकता पर अधिक जोर**

वित्त मंत्री ने अपने बजट 2017-18 में जरूरत मंदों को धन प्रदान किया है। लगभग 21.46 लाख करोड़ रुपये के विभिन्न बजट विवरण के बारे में सबसे उपयुक्त शीर्ष वैश्विक बैंकर ने कहा है कि यह एक कारीगरी और व्यवसाय जैसा कार्य है।

- उच्च अपेक्षाओं के बावजूद बजट के अंतिम आंकड़ों और विकास खाके में प्रचार पर कम और किसानों, ग्रामीण श्रमिकों, निम्न मध्य वर्ग, युवा और लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए वास्तविक सहायता प्रदान करने पर अधिक जोर दिया गया है।
- विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा संरक्षणवाद और उभरते हुए बाजारों* से पूंजी का निकलना जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए घरेलू कारकों पर बल दिया, जिसमें कई बातें पहली बार शामिल की गई हैं। पहली बार बजट एक महीने पहले पेश किया गया, जिससे सरकार के व्यय पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पहली बार नियोजित और गैर-नियोजित व्यय की सख्ती को हटाया गया है।
- **विमुद्रीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा देने के महत्व के बाद आए इस बजट में वित्त मंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1.87 लाख करोड़ रुपये का संयुक्त आवंटन किया है। प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, महात्मा गांधी मनरेगा के लिए अब तक का सबसे अधिक 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है और यह व्यय केवल' खड्डे खोदने और भरने 'के लिए नहीं बल्कि बेहतरीन ग्रामीण संपत्ति का निर्माण करने में किया जाएगा। सभी मनरेगा

संपत्तियों को जीओ-टैग किया जाएगा और अधिक पारदर्शिता के लिए इसे सार्वजनिक किया जाएगा। यहां तक कि मनरेगा कार्यों की योजना बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का भी व्यापक उपयोग किया जाएगा।

- **किसानों** को उनकी फसल का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए उनको ई-मंडी से जोड़ने तथा कृषि उत्पाद बाजार समीति) एपीएमसी (अधिनियम के चंगुल से और अधिक किसान उत्पादों को विमुक्त करने के लिए अधिक से अधिक राज्यों से आग्रह करने जैसी पहलों से किसानों को काफी मदद मिलेगी।

**एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या यह बजट निजी क्षेत्र में खपत मांग और निवेश को पुनर्जीवित कर सकेगा?**

- जैसा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में शानदार कुछ और ईमानदार आकलन के बेहतरीन दस्तावेज, आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि देश का निजी क्षेत्र भारी ऋण की समस्या से जूझ रहा है। इसलिये भारतीय कंपनियों द्वारा इस क्षेत्र में नया धन लगाने से पहले निवेश चक्र में आवश्यक महत्वपूर्ण नेतृत्व के लिये यह सरकार का तार्किक उपाय होगा और इसके बाद दूसरे आदेश में इसका पालन किया जायेगा। यही कार्य इस बजट में किया गया है। विश्व में विपरित परिस्थितियों के बावजूद पूंजी निर्माण के लिये पूंजी व्यय में 24 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। प्रमुख सड़क, रेल और शिपिंग बुनियादी ढांचा क्षेत्र को संयुक्त रूप से 2.41 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय का सरकारी निवेश प्राप्त हुआ है। इसे कई गुना प्रभावी बनाने के लिये निजी क्षेत्र को सीमेंट, स्टील और रोलिंग स्टॉक आदि के ऑर्डर प्राप्त होंगे, जिससे कुशल और अर्धकुशल लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा प्रमोटरों के राजस्व में वृद्धि होगी।
- ***युवाओं के बारे में विचार एकदम स्पष्ट हैं*:** जो एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है जहां आसान बैंक ऋण, राजकोषीय रियायतों और प्रोद्योगिकी समर्थता की मदद से उद्यमशीलता बढ़े।
- एक विश्लेषक ने कहा है कि कारपोरेट भारत को केवल पांच से दस शीर्ष व्यावसायिक घरानों के लिये ही शेयर बाजार में धन बनाने के रूप में नहीं देखना चाहिये,बल्कि यह करोड़ों सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों) एसएमई (के लिये भी है। बजट से इस वर्ग के लोगों की स्थिति में काफी बदलाव आयेगा। हालांकि सरकार द्वारा पूरे उद्योग के लिये कारपोरेट कर को 25 प्रतिशत करने के अलावा एसएमई क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें कर और कम देना होगा। नाम में कुछ बदलाव कर बुनियादी ढ़ांचा का दर्जा देने के बाद किफायती आवास के इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा दिया गया है। विमुद्रीकरण और कम मांग के कारण इस क्षेत्र को काफी धक्का पंहुचा था। इससे निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और सबके लिये आवास का सरकार का वादा पूरा होगा।
- डिजीटल इंडिया एक ऐसा क्षेत्र है, जहां बजट में अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन किया गया है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि डिजीटल पहल केवल विमुद्रीकरण तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह नया सामान्य तरीका होगा। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को आपस में जोड़ने के लिये भीम, फाइबर ऑप्टिक्स, बिक्री स्थलों और माल प्लेटफार्म जैसे परिचालन ऐप तैयार करने के लिये कई पहल की और बुनियादी सहायता दी गई है। देश को ऊर्जावान और स्वच्छ बनाने के लिये बजट में नगदी रहित अर्थव्यवस्था 'टीइसी' स्तम्भों में से एक है। वास्तव में इससे न केवल काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देश को आंतरिक रूप से स्वच्छ करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवा ऊर्जावान बनेंगे।

GENERAL STUDIES HINDI

- इसी विषय से जुड़े विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त करने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परियोजनओं को मंजूरी देने या न देने में लाल फीताशाही कम करने और विवेकाधिकारों को समाप्त करने के बारे में वैश्विक निवेशकों को बड़ा और स्पष्ट संकेत दिया गया है। इसके बाद राजनीतिक दलों को चंदा देने में पारदर्शिता लाने के लिए सबसे साहासिक कदम चुनावी बांड के जरिए चंदा देना और केवल दो हजार रुपये तक नकद चंदा देने की सीमा तय करना है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जीतने में काफी मददगार साबित होगा।
- 20,000 करोड़ रुपये तक प्रत्यक्ष कर मुक्त करने के साथ ही वित्तीय अनुशासन पर टिके रहकर वित्त मंत्री ने इसके लिए कोई नया कर नहीं शुरू किया है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत के महत्वपूर्ण स्वीकार्य स्तर पर नियंत्रित किया गया है। यह एक ऐसा उपाय है, जिससे देश को वैश्विक रेटिंग एजेंसियों का विश्वास बनाए रखने में मदद मिलेगी
- संक्षेप में बजट 2017-18 बेहतरीन है और अगर अगले वित्त वर्ष में नहीं, तो आगामी वर्षों में इससे 8 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी।

## 3. गरीबों के लिए याचिका दाखिल करना आसान हुआ

मध्यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए देश की कानूनी सहायता लेना आसान हो गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्यम आय समूह योजना लागू की है। यह आत्म समर्थन देने वाली योजना है और इसके तहत 60,000 रूपये प्रति महीने और 7,50,000 रूपये वार्षिक आय से कम आय वाले लोगों के लिए कानूनी सहायता दी जाएगी।

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860(2) के अन्तर्गत सोसायटी के प्रबंधन का दायित्व गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को दिया गया है।
- गवर्निंग बॉडी में भारत के प्रधान न्यायाधीश संरक्षक होगे। अटार्नी जनरल पदेन उपाध्यक्ष होंगे।
- सोलिसीटर जनरल ऑफ इंडिया मानद सदस्य होंगे और उच्चतम न्यायालय के अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य होंगे।
- उच्चतम न्यायालयों के नियमों के अनुसार न्यायालय के समक्ष याचिका केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिये दाखिल की जा सकती है।
- सेवा शुल्क के रूप में उच्चतम न्यायालय मध्य आय समूह कानूनी सहायता सोसाइटी को (एससीएमआईजीएलएएस)500 रूपये का भुगतान करना होगा। आवेदक को सचिव द्वारा बताई गई फीस जमा करानी होगी। यह योजना में संलग्न अनुसूची के आधार पर होगी। एमआईजी कानूनी सहायता के अंतर्गत सचिव याचिका दर्ज करेंगे और इसे पैनल में शामिल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वरिष्ठ अधिवक्ता को/दलील पेश करने वाले वकील/ भेजेगे।
- यदि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इस बात से संतुष्ट हैं कि यह याचिका आगे की सुनवाई के लिए उचित है, तो सोसाइटी आवेदक के कानूनी सहायता अधिकार पर विचार करेगी। जहां तक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पात्रता का प्रश्न है याचिका के बारे में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की राय अंतिम राय मानी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत मध्यम वर्ग के वैसे लोग जो उच्चतम न्यायालय में मुकद्दमों का खर्च नहीं उठा सकते, वे कम राशि देकर सोसाइटी की सेवा ले सकते है। इस योजना के लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित फार्म भरना होगा और इसमें शामिल सभी शर्तों को स्वीकार करना होगा।
- योजना के अनुसार याचिका के संबंध आने वाले विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए आकस्मिक निधि बनाई जाएगी। याचिका की स्वीकृति के स्तर तक आवेदक को इस आकस्मिक निधि में से

750 रूपये जमा कराने होंगे। यह सोसाइटी में जमा किये गये शुल्क के अतिरिक्त होगा। यदि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यह समझते है कि याचिका आगे अपील की सुनवाई योग्य नहीं है, तो समिति द्वारा लिये गये न्यूनतम सेवा शुल्क 750 रूपये को घटाकर पूरी राशि चैक से आवेदक को लौटा दी जाएगी।

- यदि योजना के अन्तर्गत नियुक्त अधिवक्ता सौंपे गये केस के मामले में लापरवाह माने जाते हैं तो उन्हें आवेदक से प्राप्त फीस के साथ केस को वापस करना होगा। इस लापरवाही की जिम्मेदारी सोसाइटी पर नहीं होगी और मवक्कील से जुड़े अधिवक्ता की पूरी जिम्मेदारी होगी। अधिवक्ता का नाम पैनल से समाप्त कर दिया जाएगा। समाज के कम आय वर्ग के लोगों के लिए याचिका दाखिल करने के काम को सहज बनाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह योजना लागू की है।

## 4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

**What is NHM (National health mission)? :-** -

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य सरकारों को लचीला वित्त पोषण उपलब्ध कराकर ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्र को पुर्नजीवित करने का सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चार घटक शामिल हैं। जिनके नाम हैं -राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य से परे ध्यान केंद्रित कर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के सरकार के प्रयास को दर्शाता है। इसलिए इसके तहत संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों के दोहरे बोझ से निपटने के साथ ही जिला और उप जिला स्तर पर बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सुधार किया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सीख को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समन्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वास्ते 26,690 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं, जो भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है।*
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) एनएचएम (में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के दो विभागों को राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया गया है। इस एकीकरण के परिणाम से देश के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को पुर्नजीवित करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने और कार्यक्रम कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण समन्वय देखा गया है। इसी प्रकार का एकीकरण राज्य स्तर पर भी किया गया था। इसके अलावा एनएचएम से राज्य वित्त विभागों के अधिकार क्षेत्र से बाहर राज्य स्वास्थ्य समितियों को केंद्रीय वित्तीय सहायताओं के हस्तांतरण में क्रांतिकारी बदलाव आया है। दूसरा प्रमुख बदलाव रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को एनएचएम ढांचे में शामिल करना है।
- एनएचएम से देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नवीनता आई है। इनमें लचीला वित्त पोषण, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के लिए संस्थानों की निगरानी, कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों में प्रबंधन विशेषज्ञों को शामिल कर राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर क्षमता निर्माण तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राज्य संस्थानों के जरिए समय पर भर्ती के लिए सरल मानव संसाधन तरीके शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण नवाचार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र) एनएचएसआरसी (की स्थापना है।

इससे विभिन्न पहलों का खाका तैयार कर उसे पूर्ण योजना बनाने में मदद मिलेगी। कुछ राज्यों में भी राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है।

**Activities under NHM** :--

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वार्षिक आधार पर राज्य स्वास्थ्य समितियों के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं को मंजूरी देता है। इसके लिए आरसीएच फ्लेक्सी पूल, एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल, संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सी पूल के अंतर्गत विशेष संसाधन का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आवंटित किए गए है। राज्य स्वास्थ्य समितियों को विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के लिए दोबारा उचित संसाधन और जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वित्तीय सहायता के हस्तांतरण करने में काफी स्वायतत्ता है
- एनएचएम का प्राथमिकता प्रजनन और बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। जननी सुरक्षा योजना) जेएसवाई (और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) आशा (कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण प्रभाव से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है और बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में लाया गया है। बड़ी संख्या में आने वाली गर्भवती महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में उचित बुनियादी ढांचा तैयार करने के वास्ते एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल संसाधनों का उपयोग किया गया है। गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में लाने और आपातकालीन सेवाओं के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। देश के कई राज्यों में 108 एंबुलेंस सेवा की सफलता की दास्तां दर्ज है।
- एनएचएम द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करवाने को उच्च प्राथमिकता देने का महत्वपूर्ण प्रभाव मातृत्व मृत्यु दर) एमएमआर (और पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर) अंडर 5 एमआर (पर पड़ा है। देश में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों) एमडीजी (4 और 5 को हासिल करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। देश ने एमडीजी 6 लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया है और तपेदिक, मलेरिया तथा एचआईवी के प्रसार को कम कर दिया है। देखभाल या जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर एनएचएम ने बढिया प्रदर्शन किया है, जैसा कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार से प्रदर्शित होता है

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने**-- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अपनी गतिविधियों में दो नए कार्यक्रम शामिल किए हैं।

- ✓ पहला मिशन है, इंद्रधनुष जिसके तहत केवल एक वर्ष के अंदर ही 5 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण कवरेज कर अच्छी प्रगति दर्ज की गई है।
- ✓ दूसरा है एनएचएम के अंतर्गत 2016 में शुरू की गई पहल कायाकल्प है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई की आदत डालने, स्वच्छता, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण है। कायाकल्प के तहत प्रतिस्पर्धा के लिए पुरस्कार देना शुरू किया गया है, जिसे सभी राज्यों ने बेहतर तरीके से लिया है और स्वच्छता मानकों में महत्वपूर्ण सुधार देखे जा रहे हैं।

एनएचम ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए जनआंदोलन शुरू किया है। सरकार ने लगभग दस लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य सेवा) आशा (कार्यकर्ता तैनात किए हैं, जो परिवर्तन एजेंट के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ता संस्थागत प्रसव कराने, नवजात शिशु और बच्चों की बीमारियों के एकीकृत प्रबंधन पर ध्यान देने और घर में नवजात शिशु की देखभाल करने के बारे में परामर्श देते हैं। एनएचएम ने ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं तैयार करने और आशा कार्यकर्ताओं के पर्यवेक्षण का निरीक्षण करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों के जरिए लोगों को भी सशक्त बनाया है। रोगी अनुकूल संस्थान बनाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रणाली गठित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) पीएचसी (और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) सीएचसी (स्तर पर रोगी कल्याण समितियों को सक्रिय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के शुभांरभ के साथ ही शहरी झुग्गी बस्तियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। - सरकार का महत्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभी के लिए स्वास्थ्य परिकल्पना को साकार कर रहा है। इसकी सहज सफलता में भविष्य का स्वस्थ भारत निहित है।

## GS PAPER III

### 1. स्वतंत्र भारत का प्रथम संयुक्त बजट पेश, रेल बजट भी शामिल

- केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि यह बजट स्वतंत्र भारत का प्रथम संयुक्त बजट है, जिसमें रेलवे भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत अब रेलवे, सड़कों, जलमार्गों और नागरिक उड्डयन में होने वाले निवेश में सामंजस्य बैठाने की स्थिति में आ गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 में रेलवे का कुल पूंजीगत एवं विकास व्यय 1,31,000 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसमें सरकार द्वारा मुहैया कराई गई 55,000 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।
- वित्त मंत्री श्री जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि रेलवे चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात यात्री सुरक्षा, पूंजीगत एवं विकास कार्यों, स्वच्छता और वित्त एवं लेखांकन संबंधी सुधारों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी। यात्री सुरक्षा के लिए अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये का राष्ट्रीय' बनाया जाएगा 'रेल संरक्षा कोष, जिसका वित्त पोषण सरकार की ओर से प्राप्त मूल पूंजी सीड) (कैपिटल, रेलवे के खुद के संसाधनों और अन्य स्रोतों से किया जाएगा। श्री जेटली ने यह भी बताया कि सरकार इस कोष से वित्त पोषित होने वाले विभिन्न सुरक्षा कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए स्पष्ट दिशा साथ समय सीमा भी तय करेगी। उन्होंने कहा कि बड़ी लाइनों पर-निर्देशों के साथ- अवस्थित मानवरहित रेलवे क्रॉसिंगों को वर्ष2020 तक समाप्त कर दिया जाएगा। सुरक्षा की तैयारियों एवं रखरखाव से जुड़े कार्यों को बेहतर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी।
- अपने बजट भाषण में चिन्हित गलियारों के (कॉरीडोर) आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए प्रस्तावित कदमों का उल्लेख करते हुए श्री जेटली ने कहा कि वर्ष 2017-18 में 3,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों को चालू किया जाएगा, जबकि वर्ष 2016-17 में 2800 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों को चालू किया गया था। उन्होंने कहा कि पर्यटन एवं तीर्थाटन के लिए समर्पित रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। अगले3 वर्षों के दौरान इसमें 10 फीसदी बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि 9 राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यमों की स्थापना की गई है और निर्माण एवं विकास के लिए 70 परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री जेटली ने यह भी कहा कि पुनर्विकास के उद्देश्य से वर्ष 2017-18 के दौरान कम से कम 25 स्टेशनों का ठेका दिए जाने की आशा है

और 500 स्टेशनों पर लिफ्ट एवं एस्कलेटर लगाकर उन्हें दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जाएगा।

- 'स्वच्छ रेल पर सरकार के फोकस पर विशेष जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में स्वच्छता ' का स्तर बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें एसएमएस आधारित क्लीन माई कोच सर्'विसभी शामिल है ', जिसका शुभारम्भ पहले ही हो चुका है। अब कोच' सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है 'मित्र, जो कोच या डिब्बों से संबंधित समस्त शिकायतों एवं आवश्यकताओं को दर्ज किए जाने वाला एकल खिड़की इंटरफेस होगा। वित्त मंत्री श्री जेटली ने यह भी कहा कि वर्ष 2019 तक भारतीय रेलवे के सभी डिब्बों में जैव शौचालय लगा दिए जाएंगे।
- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में निजी क्षेत्र के वर्चस्व वाले परिवहन के अन्य साधनों के मुकाबले रेलवे को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का भी ब्योरा दिया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं -:
  ( i) चुनिंदा वस्तुओं के लिए पूर्ण रूप से एकीकृत ढुलाई समाधानों को उन लॉजिस्टिक कंपनियों अथवा संगठनों के साथ भागीदारी करके लागू किया जाएगा, जो इन वस्तुओं के लिए हर तरह की कनेक्टिविटी मुहैया कराएंगे। जल्द खराब होने वाली वस्तुओं, विशेषकर कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिए रोलिंग स्टॉक एवं संबंधित तौरतरीकों को उन्हीं के अनुसार ढाला जाएगा।-
  ( ii ) प्रतिस्पर्धी टिकट बुकिंग सुविधा सभी लोगों को सुलभ कराई जाएगी। आईआरसीटीसी के जरिए बुक किए जाने वाले ई टिकटों पर सर्विस चार्ज वापस ले लिया गया है। कैशलेस आरक्षण - 58 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।
  ( iii ) लेखांकन संबंधी सुधारों के एक हिस्से के तहत वृद्धिपरक आधारित वित्तीय वक्तव्यों को मार्च 2019 तक सुलभ कराया जाएगा।
- अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री श्री जेटली ने रेलवे के परिचालन अनुपात को बेहतर करने के लिए रेलवे की ओर से निरन्तर प्रयास किए जाने पर फिर से विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि लागत, सेवा की गुणवत्ता, सामाजिक दायित्वों और परिवहन के अन्य साधनों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ढुलाई दरें तय की जाएंगी।
- मेट्रो रेल का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि क्रियान्वयन एवं वित्त पोषण के अभिनव मॉडलों के साथ साथ हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के मानकीकरण और स्वदेशीकरण पर फोकस- करते हुए एक नई मेट्रो रेलनीति की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे देश के युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा कानूनों को तर्कसंगत बनाकर एक नया मेट्रो रेल अधिनियम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे निर्माण एवं परिचालन में और ज्यादा निजी भागीदारी तथा निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।

## 2. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) संशोधन (विधेयक, 2017 को संसद में पेश करने को मंजूरी

**In news**

- केंद्रीय मंत्रीमंडल नेभारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) संशोधन (विधेयक,2017को संसद में पेश करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
- विधेयक में संशोधन होने से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और डिजायन एवं मैनुफैक्चरिंग)आईआईटीडीएम (कुरनूल का अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के सैद्धांतिक अधिनियम में समावेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके बाद

आईआईडीएम कुरनूल के छात्रों को डिग्री प्रदान करने के अधिकार के साथ उसे राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा दे दिया जाएगा।

- आईआईडीएम कुरनूल को संचालित करने में जो खर्च आएगा, वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के योजना फंड से आएगा।
- उद्योग और अर्थव्यवस्था की उभरती हुई जरूरतों को देखते हुए तकनीकी रूप से कौशल मानव संसाधन चाहिए। इसकी भरपाई प्रशिक्षण मुहैया कराने वाले संस्थान ही पूरा कर सकते हैं। संस्थान लिंग,जाति,धर्म,विकलांगता,अधिवास,जातीयता,सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।

**पृष्टभूमिः**

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2014 देश में स्थित आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है। साथ ही आईआईटी प्रशासन के साथ जोड़ता भी है। इसके बाद सरकार ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में नया एनआईटी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है जो कि आंध्र प्रदेश मान्यता अधिनियम 2014 में सन्निहित है। नए आईआईटी के अलावा आईआईटी अधिनियम 2014 में भी संशोधन किया जाएगा जिसमें आईआईटीडीएम, कुरनूल ऐसा पांचवां आईआईटी होगा जो केंद्र से सहयोग प्राप्त करने वाला सदस्य होगा।

3. **चिकित्सा उपकरण नियम 2017 अधिसूचित**

- नए नियम ग्लोबल हार्मोनाइजेशन टॉस्क फोर्स फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाए गए (जीएचटीएफ) हैं और सर्वोत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों की पुष्टि करते हैं।
- नए नियमों का लक्ष्य भारत में निर्माण यानी मेक इन इंडिया के मार्ग की नियामक कठिनाइयों को दूर करते हैं, व्यापार में सुगमता लाने में सहायक हैं और बेहतर रोगी देखभाल एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हैं।
- नए नियमों के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं को जोखिम अनुपात नियामक अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी, जिनका उल्लेख नियमों में किया गया है और जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप हैं।
- चिकित्सा उपकरणों में नियमन में सर्वोच्च व्यावसायिकता लाने के लिए अधिसूचित निकायों के ज़रिए तृतीय पक्ष समरूपता मूल्यांकन और प्रमाणन की व्यवस्था की गई है।
- नियमों में चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं द्वारा आत्म अनुशासन की संस्कृति विकसित करने-की अपेक्षा की गई है और तदनुरूप श्रेणी ए के चिकित्सा उपकरणों के लिए विर्माण लाइसेंस विनिर्माण स्थल की पूर्व जांच किए बिना ही मंजूर कर दिए जायेंगे। ऐसे मामलों में विनिर्माता को अपेक्षाए पूरी करने के बारे में स्वयं प्रमाणपत्र देना होगा। परन्तु बी और सी श्रेणी के चिकित्सा उपकरणों के मामले में अधिसूचित निकायों द्वारा पूर्व जांच अनिवार्य होगी।
- नए नियमों में कई अन्य विशिष्टताएं हैं। यह पहला अवसर है कि लाइसेंस का समय समय पर-नवीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। तदनुरूप विनिर्माण या आयात लाइसेंस तब तक वैध समझे जाएंगे, जब तक कि उन्हें निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता।

**4. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान: संरक्षणात्मक कदमों से एक सींग वाले गैंडे की जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि**

**History:**

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है। 1905 में इसे पहली बार अधिसूचित किया गया था और 1908 में इसका गठन संरक्षित वन के रूप में किया गया जिसका क्षेत्रफल 228.825 वर्ग किलोमीटर था। इसका गठन विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए किया गया था, जिसकी संख्या तब यहां लगभग 24 जोड़ी थी।

- 1916 में काजीरंगा को एक पशु अभयारण्य घोषित किया गया था और 1938 में इसे आगंतुकों के लिए खोला गया था। 1950 में इसे एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। 429.93 वर्ग किलोमीटर के साथ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया, जो फिलहाल बढ़कर अब 899 वर्ग किमी. हो गया है

**Tourism in Kaziranga**

- काजीरंगा राष्ट्रीय पांच बड़े नामों के लिए प्रसिद्ध है , जिनमें **गैंडा ( 2,401), बाघ ( 116), हाथी ( 1,165), एशियाई जंगली भैंस और पूर्वी बारहसिंघा ( 1,148)** शामिल हैं। यह दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी वाला निवास स्थान है और विश्व में एक सींग वाले गैंडे की पूरी आबादी का लगभग 68% भाग यहां मौजूद है। बाघों की बात की जाए तो यहां उनका घनत्व विश्व में सबसे सर्वाधिक घनत्वों में से एक है। यहां पूर्वी बारहसिंघा हिरण की लगभग पूरी आबादी रहती है।
- इन पांच बड़े नामों के अलावा , काजीरंगा विशाल पुष्प और जीव जैव विविधता का समर्थन करता है।

location :--

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी पर है , जिसके पूर्व में गोलाघाट जिले की सीमा से लेकर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी पर कालीयाभोमोरा पुल स्थित है। एक तरफ नदी में आने वाली वार्षिक बाढ़ का पानी पोषण लाता है जो एक उच्च उत्पादक बायोमास के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाता है , लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ से हुए कटाव के कारण मूल्यवान और प्रमुख निवास स्थानों का काफी नुकसान हो जाता है।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्रों में कई अधिसूचित जंगली और संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें पनबारी रिजर्व फॉरेस्ट और दियोपहर प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट गोलाघाट जिले में, नगांव जिले में कुकुराकाता हिल रिजर्व फॉरेस्ट, बागसेर रिजर्व फॉरेस्ट, कामाख्या हिल रिजर्व फॉरेस्ट और दियोसुर हिल प्रस्तावित रिजर्व फॉरेस्ट, सोनितपुर जिले में भूमुरागौरी रिजर्व फॉरेस्ट, कार्बी आंगलोंग जिले में उत्तर कर्बी आंगलोंग वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। उपरोक्त सभी क्षेत्रों का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिक में विशेष महत्व हैं।
- काजीरंगा में गैंडों का अवैध शिकार हमेशा से ही एक गंभीर खतरा रहा है। लेकिन, स्थानीय लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके पार्क के अधिकारियों द्वारा उठाए गए उत्कृष्ट संरक्षण उपायों की वजह से गैंड़ों की वर्तमान आबादी 2401 में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। काजीरंगा में गैंडे के अवैध शिकार का प्रमुख कारण पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैंडे के सींगों की कीमत में आई वृद्धि है। दीमापुर-मोरेह इसके लिए एक आसान मार्ग है जहां से इस क्षेत्र में अवैध हथियारों की उपलब्धता से गैंड़े का अवैध शिकार किया जाता है

***Tourism point of view*** :---

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय उद्यान में कुल 1,62,799 पर्यटकों ने दौरा किया , जिनमें 11,417 विदेशी पर्यटक शामिल थे। पर्यटकों की इस संख्या से 4.19 करोड़ रुपये का प्रवेश शुल्क राजस्व के रूप में अर्जित किया गया।

***अवैध शिकार रोकने के उपाय*:**--

पार्क के अधिकारियों ने अवैध शिकार को रोकने के लिए सभी प्रयास किए हैं जिनमें कठोर गश्त और फील्ड ड्यूटी भी शामिल हैं। बुनियादी ढांचे की कमी , उपकरणों की कमी , स्टाफ की कमी , एक बहुत ही असुरक्षित सीमा, एक बहुत ही प्रतिकूल इलाका होने के बावजूद भी अवैध शिकार को रोकने के हरसंभव प्रयास किए गए हैं। *सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का वर्णन इस प्रकार हैं*:--

(1..) काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2007 में एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और तभी से इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के अधीन आने वाले "सीएसएस प्रोजेक्ट टाइगर" के तहत पर्याप्त रूप में वित्तीय सहायता मिल रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण को 1662.144 लाख (केंद्रीय हिस्सेदारी 1495.03 लाख रूपये) की मंजूरी दी गयी।
(2) काजीरंगा में ' प्रोजेक्ट टाइगर ' के तहत एनटीसीए द्वारा प्रदान की गयी निधि से इलेक्ट्रॉनिक आई के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली को स्थापित किया गया है। इस योजना के तहत सात लंबे टावरों को विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया गया है और नियंत्रण कक्ष से 24x 7 निगरानी रखने वाले थर्मल इमेंजिक कैमरे भी लगाएं हैं।

(3..) असम की राज्य सरकार द्वारा गैंडों के अवैध शिकार सहित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए नीति और विधायी परिवर्तन कड़ाई से लागू करने हेतु वन्यजीव (संरक्षण) (असम संशोधन) अधिनियम , 2009 पेश किया गया। अपराध के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत सजा में बढ़ोत्तरी कर इसे न्यूनतम 7 साल कर दिया गया है तथा न्यूनतम जुर्माना 50 हजार से कम नहीं है।

(4..) वर्ष 2010 में सरकार ने 1973 सीआरपीसी की की 197 (2) धारा के तहत वन कर्मचारियों को प्रतिरक्षा के लिए हथियारों के इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की।

(5..) काजीरंगा नेशनल पार्क में अवैध शिकार को रोकने के लिए अतिरक्त सहायता प्रदान की गयी है जिसमें असम वन सुरक्षा बल के 423 कर्मी और 125 होमगार्डों की तैनाती की गई है। सीमावर्ती कर्मचारियों को और अधिक आधुनिक हथियार मुहैया कराने की प्रक्रिया जारी है।

(6..)राज्य सरकार के संबंधित विभागों के सदस्यों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ काजीरंगा जैव विविधता और विकास समिति का गठन किया गया है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर संरक्षण के लिए विस्तृत रूप से ढांचागत विकास प्रदान करने में सहायता प्रदान करेंगे।

## 5. राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग दिवस विश्व का सबसे बड़ा डीवॉर्मिंग कार्यक्रम

- भारत तीसरा राष्ट्रीय डीवॉर्मिंग दिवस मना रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डीवॉर्मिंग कार्यक्रम है, जिसके तहत 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 वर्ष की आयु से कम के 340 मिलियन बच्चों को उसके दायरे में रखा गया है।
- कृर्मियों द्वारा स्वास्थ्य को जो नुकसान पहुंचता है, उसे निपटने के लिए भारत में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- भारत में कीड़ों का संक्रमण सबसे अधिक होता है और 14 वर्ष से कम आयु की 64 फीसद आबादी मिट्टी द्वारा कीड़ो के संक्रमण से ग्रस्त है। इसे बच्चों में खून की कमी, कुपोषण और मानसिक तथा शारीरीक विकास बाधित हो सकता है।
- कम पोषण और खून की कमी जैसी बीमारियां मिट्टी द्वारा कीड़ों के संक्रमण से होती हैं और 40 फीसदी से लेकर 70 फीसदी तक आबादी इनसे पीड़ित हो जाती है। आगे चलकर इनसे बच्चों की पढ़ने की क्षमता और प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड सकता है।\

**समस्या का मूल्यांकन* :-**

मिट्टी द्वारा कीड़ो के संक्रमण के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय रोग

- नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को इसका मूल्यांकन करने के नोडल एजेंसी बनाया है।
- एनसीडीसी ने अन्य एजेंसियों के सहयोग से मिट्टी द्वारा कृमि संक्रमण का मूल्यांकन किया है।
- वर्ष 2015 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिट्टी द्वारा कृमि संक्रमण के अध्ययन के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह ने सुझाव दिया था कि जिन राज्यों में मिट्टी द्वारा कृमि संक्रमण 20 फीसदी से अधिक है, वहां साल में दो बार डिवॉर्मिंग कार्यक्रम चलाया जाए। इसी तरह जिन राज्यों में यह आंकड़ा 20 फीसदी से कम है, वहां वार्षिक आधार डिवॉर्मिंग कार्यक्रम चलाया जाए। केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे दो राज्य हैं, जहां मिट्टी द्वारा कृमि संक्रमण 20 फीसदी से कम है तथा वहां साल में एक बार कार्यक्रम चलाने का सुझाव दिया गया। बांकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल में दो बार डीवॉर्मिंग लागू की जाएगी।

**<u>राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग कार्यक्रम*</u>** :-

- एसटीएच संक्रमण का मुकाबला करने के लिए , सरकार ने एकदिवसीय रणनीति अपनाई है जिसे राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस (एनडीडी) कहा जाता है। कार्यक्रम को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ,महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

- प्रतिकूल घटनाओं का प्रबंधन करने के लिए , इंडियन फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) भारत के फामार्कोविजिलेंस कार्यक्रम (पीवीपीआई) की निगरानी कर रहा है , जिसने 210 एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सेंटर (एएमसी) की देश भर में स्थापना की है।
- इस सफलता इस मंजिल पर फरवरी 2017 का लक्ष्य 1 से 9 वर्ष आयु वर्ग के 34 करोड़ बच्चे हैं। इसके लिए निम्न पहलें शुरू की गयी हैं* :---
  1. पहली बार देशभर में स्थित निजी स्कूल के 7.8 करोड़ बच्चों को इसके लिए लक्षित किया गया है।
  2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा के माध्यम से 4.3 करोड़ स्कूली बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा।

  3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बेहतर डेटा संग्रह के लिए एनडीडी एप्लिकेशन को विकसित किया है।

राष्ट्रीय डिवार्मिंग दिवस एक सराहनीय कदम है जिसे स्वस्थ भारत को सुनिश्चित करने में एक लंबा सफर तय करना है। पोलियो, गिनी कृमि , चेचक , स्माल पॉक्स एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन के भारतीय गौरवशाली रिकॉर्ड को भी अलग से शामिल किया जा सकता है। इसे सबसे अच्छे तरह से इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है**:-'घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो,यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाये' (निदा फाजली)**

## 6. 'इंडिया फार्मा 2017' एवं इंडिया मेडिकल डिवाइस'2017' अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

इस तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा उद्योग चैम्बर फिक्की के सहयोग से 11 से 13 फरवरी, 2017 तक किया जा रहा है।

VISION- 'जिम्मेदार स्वास्थ्य के लिए'

### भारतीय फार्मा विश्व में

- भारत की विश्व जनेरिक दवा आपूर्ति श्रृंखला में लगभग 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है
- यह वैश्विक रूप से 250 से अधिक देशों को निर्यात करता है।
- भारतीय फार्मा उद्योग वैश्विक टीकों का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा उपलब्ध कराता है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय फार्मा क्षेत्र ने लगभग 14 बिलियन डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) एफडीआई (प्राप्त किया है और देशभर में 2.5 मिलियन से अधिक लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया है।

सरकार द्वारा चिकित्सा उपकरणों के लिए विषम शुल्क संरचना में सुधार, बल्क दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयातों पर विस्तार शुल्क की वापसी तथा इस क्षेत्र में एक निष्पक्ष, पारदर्शी, प्रत्याशित और समान अवसर लाने का कार्य किया गया है।

## 7. इंडियन सीड कांग्रेस, 2017 और कृषि मंत्री के भाषण से कुछ अंश

किसानों के समग्र और दीर्घकालिक विकास के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति तैयार कर ली है जिसका उद्देश्य :

- कृषि विकास क्षमता को गति देना
- गांवों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करना
- मूल्य वर्धन(वैल्यू एडिशन) को बढ़ावा देना
- कृषि-व्यवसाय के विकास में तेजी लाना
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, किसानों
- कृषि कामगारों और उनके परिवारों की आजीविका स्तर सुनिश्चित करना
- शहरी क्षेत्रों में पलायन हतोत्साहित करना और
- आर्थिक उदारीकरण और वैश्विकरण से उत्पन्न चुनौतियां का सामना करना है।

सरकार की नीतिगत कदमों के परिणामस्वरूप देश में प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। यह 60 के दशक के दौरान 40 लाख क्विंटल से भी कम थी जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 370 लाख क्विंटल हो गई। सरकारे गुणवत्ताप्रद बीजों की वर्षवार, मौसमवार आवश्यकता पूरी करने के लिए किस्मवार सीड रोलिंग प्लांट तैयार करें। इस सीड रोलिंग प्लान से बीज प्रतिस्थापन दर तथा किस्म प्रतिस्थापन दर में सुधार जैसे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति होगी ताकि सतत (सस्टेनेबल) कृषि उत्पादन और उत्पादकता सुनिश्चित किया जा सके।

## भारतीय बीज उद्योग वैश्विक बाजारों में बीज की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख उद्योग

भारतीय बीज मंडी का तेजी से विकास हो रहा है तथा हाल ही में सब्जियों और अनाजों की संकर बीज मंडी में काफी विकास हुआ है। भारतीय बीज उद्योग वैश्विक बाजारों में बीज की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख उद्योग बन सकता है। भारत के पास अन्य देशों की तुलना में सस्ती लागत पर अधिक मूल्य वाले सब्जी बीजों के विशेष संदर्भ में संकर बीज उत्पादन की भारी क्षमता है। सब्जियों के अलावा, संकर मक्का, धान, बाजरा और कपास के बीजों को एसईआई और अफ्रीकी देशों में निर्यात करने की भारी क्षमता है।

## सरकार की नीतियाँ किसानो की आय दोगुना करने के लिए

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य योजना, नीम लेपित यूरिया और ई-राष्ट्रीय कृषि मंडी योजना का मकसद किसानों की फसल उत्पादकता और आय में सुधार लाना है। सरकार द्वारा निर्धारित 7 सूत्री कार्यक्रम पर किसानो की आय बढाने के लिए निम्नलिखित हैं :

- "प्रति बूंद, अधिक फसल" के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारी बजट के साथ सिंचाई पर पर्याप्त ध्यान देना ।
- प्रत्येक खेत की मृदा के गुणवत्ता के आधार पर अच्छे बीजों और पोषक तत्वों की व्यवस्था करना।
- कटाई के पश्चात फसल को होने वाली हानि रोकने के लिए वेयर हाउसिंग और शीत श्रृंखलाओं में भारी निवेश को बढ़ावा देना ।
- खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्य वर्धन (वैल्यू एडिशन) को बढ़ावा देना।
- 585 केंद्रों पर कमियां दूर करते हुए राष्ट्रीय कृषि मंडी और ई-प्लेटफार्म खोलना।
- वहन करने योग्य लागत पर जोखिम कम करने के लिए नई फसल बीमा योजना लागू करना।
- कुक्कुकट पालन, मधु मक्खी पालन और मछली पालन जैसे सहायक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।

## 8. सबको सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का अभियान :हृदय में लगाये जाने वाले स्टंट की मूल्य-सीमा तय, मूल्यों में लगभग 380 प्रतिशत की कमी

सबके लिए सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत सरकार ने हृदय में लगाये जाने वाले स्टंट की मूल्य सीमा तय करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

- बाजार में बेयर मेटल स्टंट (बीएमएस) का 10 प्रतिशत हिस्सा है। उसकी कीमत 7260 रुपये सीमित कर दी गई है। इसी तरह ड्रग एल्यूटिंग स्टंट (डीईएस) का बाजार में 90 प्रतिशत हिस्सा है, जिसकी कीमत 29,600 रुपये सीमित कर दी गई है। कीमतों में वैट और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं।
- स्टंट पर तमाम राज्यों में 5 प्रतिशत वैट लगाया जाता है, जिसके हिसाब से बीएमएस और डीईएस का खुदरा मूल्य क्रमश: 7623 रुपये और 31,080 रुपये होगा। उन्होंने बताया कि 60 दिन के अंदर राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने यह कीमतें तय की हैं।
- पहले स्टंटों की बिक्री से मनमाना नफा कमाया जाता था, जिस पर इस निर्णय से बहुत प्रभाव पड़ा है। बहरहाल नई कीमतों से उद्योगों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले बीएमएस का खुदरा मूल्य 45,000 रुपये और डीईएस का 1,21,000 रुपये था। अब बीएमएस की कीमत घटकर 7623 और डीईएस की 31,080 हो गई है। इस तरह मरीजों को औसतन 80-90 हजार रुपये का लाभ होगा ।.
- अस्पतालों में जो स्टंट पहले से जमा हैं, उनकी कीमतों में भी संशोधन किया जायेगा।
- अगर तयशुदा कीमतों की अवलेहना होती है तो एनपीपीए को यह अधिकार दिया गया है कि वह अतिरिक्त कीमत को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल करे।
- मंत्रालय ने 'फार्मा जन समाधान' और 'फार्मा सही दाम' नामक दो मोबाइल एप्प शुरू किये हैं। इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति मंत्रालय के पास शिकायत भेज सकता है।
- नई कीमतों से 'मेक इन इंडिया' को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने का अवसर मिलेगा।

## 9. कृषि शिक्षा को बढावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना प्रारंभ

कृषि स्नातक तक के पाठयक्रमों को रोजगार से जोड़ कर पेशेवर बना दिया गया है जिससे अब छात्र - छात्राओँ को अपनी आजीविका कमाने में भारी मदद मिलेगी। पिछले वर्ष पांचवी डीन समिति की रिपोर्ट देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों में लागू कर दी गयी है और यह इसी शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू हो जाएगी।

GENERAL STUDIES HINDI

- युवा राष्ट्र की धरोहर हैं और कृषि की बेहतरी के लिए जरूरी है कि हम अपने युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करें। इसमें कृषि विश्व विद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों की अहम भूमिका है।
- इस दिशा में आईसीएआर द्वारा **'स्टूडेंट रेडी'** योजना चलाई जा रही है जिसमें वर्ष 2016-17 में सभी छात्रों की फेलोशिप को एक हजार रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये किया गया है। इसके अलावा एक अन्य योजना 'आर्या' भी सफलता से चलाया जा रहा है।
- वर्ष 2016 में कृषि शिक्षा को बढावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना प्रारंभ की गई जिसमें 5.35 करोड़ रूपये के बजट के साथ 100 केन्द्र खोले जाने हैं।
- नए विश्व विद्यालयों तथा कॉलेजों के माध्यम से कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं जैसे कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि

विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार के रूप में अपग्रेड किया गया है, साथ ही इसके तहत चार नए कॉलेज खोले गए हैं।

- मोतिहारी में एकीकृत कृषि प्रणाली पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया। सीएयू इम्फाल में छ: नए कॉलेज खोले गये हैं जिससे वहां कॉलेजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्व विद्यालय, झांसी, बुन्देलखंड में चार नए कॉलेज खोले गए हैं जिनमें दो उत्तर प्रदेश में और दो कॉलेज मध्य प्रदेश में हैं।
- आईएआरआई-झारखंड की स्थापना की जा चुकी है और वहां के छात्र विभिन्न पाठयक्रमों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देश के उत्तर- पूर्वी राज्यों में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम में आईएआरआई के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है और जल्द ही आईएआरआई-असम की आधारशिला रखी जाएगी। आन्ध्र प्रदेश में आचार्य एन.जी.रंगा कृषि विश्वविद्यालय तथा तेलंगाना में SKTLSHU दोनों को अलग - अलग 122.5 करोड़ रूपये जारी कर दिए गये हैं।
- अंतराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारत का विदेशी सरकारों, विदेशी विश्वविद्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय बॉडीज के साथ लगातार मजबूत हुआ है।ब्रिक्स कृषि अनुसंधान प्लेटफार्म (एक विचुअल नेटवर्क) की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। कृषि मंत्रालय कंधार, अफगानिस्तान में अफगान राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ANASTU) स्थापित करने में सहायता कर रहा है। म्यांमार में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के एडवांस्ड सेन्टर की स्थापना करने में भी सहयोग कर रहा है। इसी प्रकार का सहयोग अफ्रीका महाद्वीप में भी किया जा रहा है।
- Agriculture sector में PSP यानी उत्पादकता (Productivity) –टिकाऊपन (Sustainability) – लाभप्रदता (Profitability) में सुधार होगा। श्री सिंह ने यह भी कहा कि 'लैब टू लैण्ड' कार्यक्रम आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसमें कृषि विज्ञान केन्द्रों की खास भूमिका है।
- किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आईसीएआर के सभी संस्थानों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक मॉडल विकसित करने पर बल देना चाहिए। संस्थानों को डिजिटलाइजेशन की दिशा में भी पूरी सक्रियता से काम करने की जरूरत है।

## 10 . गवर्नमेंट ईमार्केटप्लेस- खरीदारी व्यवस्थित हुई

सार्वजनिक खरीदारी सरकार की गतिविधियों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सार्वजनिक खरीदारी में सुधार लाना वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। गवर्नेमेंट ईमार्केटप्लेस ( जीईएम gem.gov.in) सरकार का एक बहुत साहसिक कदम है, जिसका उद्देश्य उन तरीकों में बदलाव लाना है जिनमें सरकारी मंत्रालयों और विभागों , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्र सरकार के अन्य शीर्ष स्वायत्त निकायों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की जाती है।

**Background*:---**

गवर्नेमेंट ई-मार्केटप्लेस की उत्पत्ति प्रधानमंत्री द्वारा गठित सचिवों के दो समूहों की सिफारिशों के आधार पर की गयी है।

## जीईएम पोर्टल

- डीजीएसएंडडी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तकनीकी राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग की तकनीकी मदद से उत्पादों और सेवाओं, दोनों की खरीदारी के लिए जीईएम पोर्टल विकसित किया है।

- इस पोर्टल का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा 9 अगस्त, 2016 को किया गया था। जीईएम पर खरीदारी को सरकारी नियमों में आवश्यक परिवर्तन द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली के द्वारा अधिकृत किया गया है।
- वर्तमान में जीईएम के पीओसी पोर्टल पर 150 उत्पाद श्रेणियों में 7400 उत्पादों और परिवहन सेवाएं किराएं पर लेने की सुविधा उपलब्ध हैं। जीईएम के माध्यम से 140 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन के मामले पहले से ही प्रोसेस किए जा चुके हैं।

**जीईएम पूरी तरह से कागज रहित ,**

- कैशलेस और प्रणाली संचालित ई-मार्केटप्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी में सक्षम बनाता है।
- **जीईएम पारदर्शिता लाता है:--** जीईएम विक्रेता पंजीकरण , खरीद आदि करने और भुगतान प्रोसेसिंग में मानव इंटरफेस को समाप्त करता है।
- **जीईएम क्षमता को बढ़ाता है:-----** जीईएम पर सीधी खरीदारी मिनटों में की जा सकती है क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और उचित मूल्यों का पता लगाने के लिए ऑनलाइन उपकरणों के साथ पूरी तरह एकीकृत है।
- निष्पक्षता और गति तथा दक्षता सुनिश्चित करके उचित मूल्य का पता लगाने में मदद करता है। दरों की तर्कसंगतता की शीर्ष ई-कॉमर्स पोर्टल पर बाजार मूल्यों के साथ ऑनलाइन तुलना करके पुष्टि की जा सकती है
- मेक इन इंडिया की सहायता करने की सामर्थ्य*:--- जीईएम तरजीही बाजार पहुंच (पीएमए) अनुवर्ती पर मौजूद वस्तुओं और लघु उद्योगों (एसएसआई) द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का चयन कर लेता है। इससे सरकारी खरीददार मेक इन इंडिया और लघु उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं की आसानी से खरीदारी करने में समर्थ हो जाते हैं। आसानी से सुलभ एमआईएस, प्रशासकों और नीति निर्माताओं को पीएमए और एसएसआई आउटसोर्सिंग पर सरकारी नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने में समर्थ बनाता है। जीईएम की शुरूआत के बाद यह पता चला है कि अनेक जानेमाने कंप्यूटर निर्माताओं ने जीईएम पर पीएमए अनुरूप उत्पाद रखे हैं
- सरकार की बचत:- निविदा/दर अनुबंध और सीधी खरीदारी दरों की तुलना में जीईएम पोर्टल के उपयोग में पारदर्शिता , दक्षता और सरलता के कारण जीईएम पर मूल्यों में काफी कमी हुई है। जीईएम पर औसत मूल्य कम से कम 15-20 प्रतिशत कम हैं और कुछ मामलों में यह मूल्य 56 प्रतिशत तक कम पाए गए हैं। विनिर्देशों के मानकीकरण और जीईएम वस्तुओं के मानकीकरण के द्वारा मूल्यों में और कमी आने से मांग एकत्रीकरण और अधिक बढ़ने का अनुमान है। सामान्य उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग एकत्रीकरण के परिणामस्वरूप 40,000 करोड़ रुपये की सालाना वार्षिक बचत होने का अनुमान है।

**11.जनवरी, 2017 में देश में विदेशी पर्यटक आगमन और ई वीजा सुविधा का लाभ उठाने-वाले विदेशी पर्यटक :----**

पर्यटन मंत्रालय आप्रवासन ब्यूरो वार एवं बंदरगाहवार आंकड़ों के आधार-से प्राप्त राष्ट्रीयता (बीओआई) के मासिक अनुमानों का संकलन करता । इसी के अनुसार (एफटीए) पर विदेशी पर्यटकों के आगमन जनवरी, 2016 की तुलना में जनवरी, 2017 के दौरान 16.5 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो इसी अवधि के दौरान जनवरी, 2015 की तुलना में जनवरी, 2016 की 6.8 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। जनवरी, 2016 में 0.88 लाख की तुलना में 1.52 लाख लोगों द्वारा ईवीजा पंजीकरण करवाने से जनवरी-, 2016

की तुलना में जनवरी, 2017 के दौरान ईवीजा पर आने वाले पर्यटकों- की संख्या में 72 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। स्पष्ट है कि 2017 में ईवीजा सुविधा का लाभ उठाने वाले पर्यटकों का हिस्सा जनवरी-, 2016 के 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 15.5 प्रतिशत हो गया। इससे ई वीजा सुविधा की सफलता का पता चलता- है।

- शीर्ष 15 स्रोत देशों में जनवरी, 2017 के दौरान भारत में एफटीए में सर्वाधिक हिस्सा अमेरिका )15.01 प्रतिशत) बांग्लादेश :का रहा। इसके बाद हिस्सा क्रमश (14.91 प्रतिशत(, ब्रिटेन )11.11 प्रतिशत(, कनाडा )4.63 प्रतिशत(, रूसी संघ )4.46 प्रतिशत(, ऑस्ट्रेलिया )3.65 प्रतिशत(, मलेशिया )3.15 प्रतिशत(, जर्मनी )2.92 प्रतिशत(, फ्रांस )2.89 प्रतिशत(, चीन )2.54 प्रतिशत(, श्रीलंका )2.45 प्रतिशत(, जापान )2.15 प्रतिशत(, अफगानिस्तान )1.84 प्रतिशत(, कोरिया गणराज्य )1.61 प्रतिशत(, और नेपाल )1.60 प्रतिशतका रहा। (
- शीर्ष 15 हवाई अड्डों पर जनवरी 2017 के दौरान भारत में एफटीए में सर्वाधिक हिस्सा दिल्ली हवाई अड्डा )28.30 प्रतिशत) का रहा। इसके बाद हिस्सा क्रमशः मुंबई हवाई अड्डा (18.23 प्रतिशत(, हरिदासपुर लैंड चेक पोस्ट )8.17 प्रतिशत (, चेन्नई हवाई अड्डा )7.32 प्रतिशत(, गोवा हवाई अड्डा )6.51 प्रतिशत(, बेंगलुरू हवाई अड्डा) 5.32 प्रतिशत(, कोलकाता हवाई अड्डा )4.32 प्रतिशत(, कोच्चि हवाई अड्डा )3.73 प्रतिशत(, अहमदाबाद हवाई अड्डा )3.37 प्रतिशत(, हैदराबाद हवाई अड्डा )2.74 प्रतिशत(, गेडे रेल )1.77 प्रतिशत(, त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा )1.62 प्रतिशत(, त्रिची हवाई अड्डा )1.38 प्रतिशत(, गोजदंगा लैंड चैक पोस्ट )1.08), और अमृतसर हवाई अड्डा )1.02 प्रतिशतका रहा। (
- ईजनवरी--:(एफटीए) वीजा पर विदेशी पर्यटक आगमन-, 2016 में 0.88 लाख पर्यटकों के आगमन की तुलना में जनवरी, 2017 के दौरान ई वीजा पर कुल-1.52 लाख पयर्टकों का आगमन हुआ, जो 72.0 प्रतिशत अधिक था।

## 12. तृतीय राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन आयोजित

- उत्तराखंड जल विद्युत निगम एवं आईआईटी रूड़की के सहयोग से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा आयोजित
- इस सम्मेलन में बांध सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिनका सामना वर्तमान में जारी बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं सुधार परियोजना डीआरआईप)ी के ( कार्यान्वयन में करना पड़ रहा
- बांधों ने तेज एवं सतत कृषि तथा ग्रामीण प्रगति और विकास को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाई है, जोकि आजादी के बाद से भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में रही है। पिछले 70 वर्षों के दौरान भारत ने खाद्य, ऊर्जा एवं जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलाशयों में सीमित सतही जल संसाधनों को प्रबंधित एवं भंडारण करने के लिए आवश्यक अवसंरचना में उल्लेखनीय रूप से निवेश किया है।
- लगभग 283 बिलियन क्यूबिक मीटर की कुल भंडारण क्षमता के साथ बड़े बांधों की संख्या के लिहाज से दुनिया में चीन और अमरीका के बाद भारत का **तीसरा स्थान है।**
- लगभग 80 प्रतिशत बड़े बांधों ने 25 वर्ष की उम्र पार कर ली है और उनमें से कई के सामने अब विलंबित रख लगभग) रखाव की चुनौती खड़ी हो गई है। इनमें से कई बांध बेहद पुराने हैं- 170 बांधों की उम्र 100 वर्ष से अधिक हैऔर उन (का निर्माण ऐसे समय में हुआ था, जिनके डिजाइन प्रचलन एवं सुरक्षा संबंधी विचार वर्तमान डिजाइन मानकों एवं मौजूदा सुरक्षा नियमों के अनुरूप नहीं हैं।

- इनमें से कई बांधों के सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं और उनकी संरचनात्मक सुरक्षा तथा परिचालनगत कुशलता सुनिश्चित करने के लिए उन पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। बड़े बांधों की विफलता बांधों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को बाधित करने के अलावा गंभीर रूप से जान, माल एवं पर्यावरण को प्रभावित कर सकती है।
- इसके महत्व को महसूस करते हुए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 2012 में विश्व बैंक की सहायता से 6 **वर्षीय बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी)**की शुरूआत की। इसमें संस्थागत सुधारों एवं सुरक्षित तथा वित्तीय रूप से टिकाऊ बांध परिचालनों से संबंधित नियामकों उपायों को मजबूत बनाने के साथ भारत के 7 राज्यों में 225 बड़ी बांध परियोजनाओं में व्यापक पुनर्वासएवं सुधार के प्रावधान हैं। इस परियोजना का कार्यान्वयन 7 राज्यों झारखंड), कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु एवं उत्तराखंडमें ( किया जा रहा है।
- डीआरआईपी नवीन समाधानों एवं प्रौद्योगिकियों को लागू करने के द्वारा इस गंभीर समस्या का समाधान करने तथा बांध सुरक्षा मुद्दों पर जागरूकता के प्रचार प्रसार करने में सफल रही है।- चूंकि यह परियोजना केवल पांच प्रतिशत बड़े बांधों एवं 7 राज्यों से ही संबंधित है, इसलिए विभिन्न राज्यों में एक वार्षिक समारोह के रूप में बांध सुरक्षा क्षेत्रों में ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने के लिए गैरडीआरआईपी राज्यों के पेशेवर व्यक्तियों-, शिक्षाविदों, उद्योगों तथा वैश्विक विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। (एनडीएससी) इस प्रकार के सम्मेलन नये बांधों के डिजाइन एवं निर्माण के लिए तकनीकों, उपकरणों, सामग्रियों आदि तथा मौजूदा बांधों के अनुवीक्षण, निगरानी, परिचालन, रख रखाव एवं पुनर्वास की- अवधारणाओं क प्रचारित करेंगे।

## 13. सिक्किम योजना में शामिल होने वाला 'उदय'22वां राज्य

भारत सरकार और सिक्किम ने आज उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत राज्य के (उदय) पर हस्ताक्षर किए हैं। (एमओयू) बिजली वितरण विभाग के परिचालन में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने के साथ ही उदय के अंतर्गत आने वाले राज्यों की संख्या 22 हो गयी है।

**Benefit through UDAY schemes***:---

- सिक्किम किफायती कोषों, एटी एंड सी में कमी और ट्रांसमिशन की खामी, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने जैसे तरीकों से के माध्यम से 'उदय'207 करोड़ रूपए का कुल लाभ अर्जित करेगा।
- एमओयू से राज्य के बिजली वितरण विभाग की परिचालन क्षमता में सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। बदलाव की प्रक्रिया के दौरान प्रदेश और डिस्कॉम्स अनिवार्य फीडर और ट्रांसफामर्स मीटरों का वितरण, उपभोक्ता इंडेक्स एवं नुकसान की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मरों को अपग्रेडबदलना/, मीटर इत्यादि, बड़े ग्राहकों के लिए समार्ट मीटरिंग जैसे कदमों के जरिए परिचालन दक्षता लाने का प्रयास करेंगे। इससे पारेषण और एटीएंडसी के नुकसान को कम किया जा (ट्रांसमिशन) सकेगा। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति और वसूली के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सकेगा। इस दौरान एटीएंडसी और ट्रांसमिशन नुकसान में क्रमश :15 प्रतिशत और 3.50 प्रतिशत की कमी लाकर 179 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकेगा।

- 'उदयके तहत ध्यान दिए जाने वाले बिंदुओं में से ऊर्जा दक्षत 'ा एक है। पीक लोड घटाने और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए सिक्किम सरकार ऊर्जा दक्षता वाले एलईडी बल्बों, कृषि पंपों, पंखों एवं एयर कंडीशनरों, कुशल औद्योगिक उपकरणों को पीएटी परफार्म), एचीव, ट्रेड ( के जरिए बढ़ावा देगी। इससे लगभग25 करोड़ रूपए की बचत होने का अनुमान हैं।
- एक तरफ जहां राज्य सरकार द्वारा डिस्कॉम्स की परिचालन दक्षता में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और आगे बिजली आपूर्ति की लागत घटाई जाएगी वहीं केंद्र सरकार भी राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार और आगे बिजली की लागत को कम करने के लिए डिस्कॉम्स और राज्य सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस जैसी केंद्रीय योजनाएं, ऊर्जा क्षेत्र विकास निधि अथवा ऊर्जा मंत्रालय की अन्य योजनाएं और एमएनआरई, राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहले से ही धन उपलब्ध करा रही हैं। अगर राज्य डिस्कॉम्स योजनाओं के तहत निर्धारित परिचालन लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उन्हें/ प्राथमिकता के आधार पर भी अनुदान उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।/अतिरिक्त
- इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने का सबसे बड़ा लाभ सिक्किम के लोगों को होगा। डिस्कॉम्स द्वारा बिजली की उच्च मांग का अर्थ उत्पादन इकाइयों में अधिक पीएलएफ से होगा और ऐसा इसलिए बिजली की प्रति यूनिट की कम लागत का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। डिस्कॉम्स एटीएंडसी नुकसान वाले क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करेगा। इस योजना से सिक्किम के अब भी बिजली से महरूम घरों में किफायती और त्वरित बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बिजली से दूर गांवों परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति से अर्थव्यवस्था को बल और/ उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में सुधार आयेगा और राज्य के लोगोंं के जीवन में सुधार आएगा।

## 14. कृषि क्षेत्र दहाई के आंकड़े में वृद्धि की ओर

सरकार का कृषि क्षेत्र पर नए सिरे से बल देना , गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करने और देश की विकास गाथा में ग्रामीण गरीबों को अभिन्न अंग बनाने की सोची समझी कार्यनीति है। दरअसल इस प्रकार के व्यय से जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया और यह अस्थायी राहत साबित हुआ। लेकिन अनुभव के आधार पर सरकार ने लोगों को एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प के रूप में कृषि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए योजनाएं शुरू की है।

GENERAL STUDIES HINDI

यह अतीत से आगे बढ़ने का दिलचस्प बिंदु है। सरकार की योजना देश के सबसे पिछड़े जिलों में बदलाव कर इसे भारत में परिवर्तन का मॉडल बनाना है। इसमें कच्छ में गुजरात प्रयोग उपयोगी साबित हो रहा है।

- इस समय ध्यान देश के 100 सबसे पिछडे जिलों पर है , जिनमें से अधिकतर तीन राज्यों - बिहार , उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है।
- इन तीन राज्यों में ही पूरे देश के 70 सबसे अधिक पिछड़े जिले हैं। दुख की बात यह है कि देश के सबसे विकसित जिलों में से एक भी जिला इन राज्यों में नहीं है।

**Previous Scheme and reason for their failure:**

योजना बनाने वाले लंबे समय से क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे पर ढ़कोसला कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने कई योजनाएं विशेष रूप से सबसे पिछड़े जिलों के लिए शुरू की। वे शायद इसलिए असफल रही , क्योंकि उनमें अधिक ध्यान गरीबी उन्मूलन और अस्थायी रोजगार सृजन पर दिया गया था। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया था और सड़क सिंचाई तथा संपर्क के अभाव में कृषि क्षेत्रों को भी लाभदायक नहीं बना सके।

सरकार ने अगले चार वर्षों में भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने की भी प्रतिज्ञा ली है। गुजरात के कृषि क्षेत्र की इस सफल दास्तां से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे कई अन्य राज्यों ने एक ऐसे राज्य की तकनीकों को अपनाया है , जिसे कभी भी कृषि प्रधान राज्य नहीं माना जाता था। इसका सबसे बड़ा कारण राज्य का विशाल सौराष्ट्र क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष सूखा पड़ने से लोगों और जानवरों का पलायन होता था। कृषि क्षेत्र की वृद्धि की कार्यनीति बेहतर सिंचाई , खेती के आधुनिक उपकरण , किफायती कृषि ऋण की आसानी से उपलब्धता 24 घंटे बिजली और कृषि उत्पादों का तकनीक अनुकूल विपणन पर तैयार की गई थी। इन प्रत्येक पहलों में बड़ी संख्या में नवीन योजनाएं बनाई और उनका कार्यान्वयन किया गया था। केंद्र की राजग सरकार उनके अनुभव को पूरे देश में दोहराने की कोशिश कर रही है।

- कृषि भूमि की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए मृदा जांच कृषि क्रांति की दिशा में एक प्रमुख कदम है , जबकि नीम लेपित यूरिया दूसरा कदम है।
- इस दिशा में अन्य कदम बांध निर्माण, जलाशयों और अन्य जल संरक्षण विधियों के जरिए जल संरक्षण, भू-जल स्तर बढ़ाना, टपक सिंचाई को बढ़ावा देकर पानी की बर्बादी कम करना, मृदा की उर्वरकता का अध्ययन कर फसलों के तरीकों में बदलाव करना, पानी की उपलब्धता और बाजार की स्थिति है। विद्युतीकरण , पंचायतों में कंप्यूटरीकरण , प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए सड़क निर्माण के माध्यम से प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने से जमीनी स्तर पर विकास सुनिश्चित होगा। सड़क निर्माण से प्रत्येक गांव के लिए बाजार और इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।
- पहली बार देश के इतनी अधिक संख्या में गरीब बैंक खाताधारक बने है। जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ नए खाते खोले गए है। यह वित्तीय समावेशन गतिशील कृषि अर्थव्यवस्था का केंद्र है।
- वित्तीय वर्ष में सरकार ने सीधे नकद हस्तांतरण के जरिए 50,000 करोड़ रूपये की बचत की है। 50 मिलियन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए नि:शुल्क रसोई गैस प्रदान करने से लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव आ रहा है। सबसे अधिक वार्षिक आवंटन और कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को दोबारा तैयार किया गया है। इनसे श्रमिकों द्वारा अपनी पारंपरिक कृषि श्रम को छोड़कर शहरों की ओर पलायन भी कम होगा।

**कृषि क्षेत्र लाभदायक कैसे बन सकता है ? इस दशक के अंत तक कृषकों की आय दोगुनी कैसे हो सकती है ?**

क्या इससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता और किसानों की आत्म हत्या को रोकना सुनिश्चित किया जा सकता है ? कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए आवंटन की नई योजनाओं से इस आकर्षक कहानी का पता लगता है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए अगले वर्ष 1.87 लाख करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। इसके लिए प्रमुख क्षेत्र मनरेगा तथा सरल कृषि ऋण और बेहतर सिंचाई की उपलब्धता है।

सिंचाई कोष और डेयरी कोष में काफी वृद्धि की गई है। कृषि ऋण योजना के साथ फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा के लिए दस लाख करोड़ दिए गए है जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। अधिक ऋण से कृषि निवेश को बढ़ावा मिलेगा और खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरणा मिलेगी। इससे किसानों को स्थायीत्व और बेहतर लाभ प्राप्त होगा। इससे ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे।

इस मौसम में रबी की आठ प्रतिशत से अधिक फसल लगाई गई है। खबरों में कहा गया है कि बेहतर वर्षा के कारण इस बार खरीफ की फसल रिकॉर्ड 297 मिलियन टन हो सकती है। बेहतर सड़क निर्माण , 2000 किलोमीटर की तटीय संपर्क सड़क और भारत नेट के अंतर्गत 130,000 पंचायतों को उच्च गति के ब्राडबैंड प्राप्त होने से निश्चित रूप से कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में सुधार और बेहतर कीमतें मिलेंगी, जिसके कारण यह एक लाभदायक कैरियर विकल्प हो सकता है। इन नीति संचालित , लक्ष्य आधारित उपायों के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादन में काफी उछाल आयेगा और सभी के लिए भोजन तथा देश से गरीबी पूर्ण रूप से समाप्त करने का सपना साकार होगा।

## PRELIMS

### 1.भारत ने" तृतीय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम) टीईक्यूआईपी III " के लिए विश्व बैंक के साथ 201.50 मिलियन अमरीकी डॉलर के वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर किए

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी इंजीनियरी शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता और इक्विटी में बढ़ोतरी करना तथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 8 पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंजीनियरी शिक्षा प्रणाली की सक्षमता में सुधार लाना है। -
- **इस परियोजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं**

(i) उक्त राज्यों में इंजीनियरी संस्थानों में गुणवत्ता और इक्विटी में सुधार;

(ii) क्षेत्रगत शासन और कार्य निष्पादन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रणालीस्तरीय सुधार करना।

**Time period of TEQIP-3** :-- तृतीय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम )टीईक्यूआईपी III) की अवधि तारीख 31 मार्च, 2022 तक है।

### 2. 'स्वयं 'प्लेटफॉर्म

GENERAL STUDIES HINDI

- सूचना प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने और कम से कम 350ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ 'स्वयं' प्लेटफॉर्म लांच
- इससे विद्यार्थियों को सर्वोत्तम संकाय द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में आभासी ढंग से भाग लेने, उच्च गुणवत्ता वाली पठन सामग्री तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने, परिचर्चा फोरम में शिरकत करने, परीक्षाओं में बैठने और शैक्षणिक ग्रेड हासिल करने में मदद मिलेगी।
- शिक्षा को समर्पित डीटीएच चैनलों के साथ संपर्क के जरिए 'स्वयं'तक पहुंच का विस्तार किया जाएगा।

### 3. 2017 तक कालाजार और फिलारियासिस, 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्य योजना

- सरकार ने 2017 तक कालाजार और फिलारियासिस, 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। 2025 तक तपेदिक को भी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसी प्रकार नवजात शिशु मृत्यु दर जो (आईएमआर)2014 में 39 था, उसे घटाकर 2019 तक 28 करने तथा मातृ मृत्यु दर जो (एमएमआर)2011-13 में 167 था, उसे 2018-20 तक 100 करने के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है।
- 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेन्-द्रों को स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती केन्द्रों में परिवर्तित किया जाएगा।
- द्वितीयक और तृतीयक स्तरों की देखभाल को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत है, इसलिये हमने प्रति वर्ष 5,000 अतिरिक्त स्नातकोत्तर सीटें सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
- बड़े जिला अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने, चुनिंदा ईएसआई और नगर निगमों के अस्पतालों में स्नातकोत्तर शिक्षा को मजबूत करने तथा प्रख्यात निजी अस्पतालों को डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के कदम उठाये जाएंगे।
- झारखंड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किये जाएंगे।
- बजट में उचित मूल्यों पर औषधि की उपलब्धता और जनेरिक औषधियों को बढ़ावा देने के लिए औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
- चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए नई नियमावली तैयार की जाएगी। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार होंगे और इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेंगे। इससे इन उपकरणों की लागत कम हो जाएगी।

4. **एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्योदय**

- सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए मिशन अंत्योदय शुरू करेगी।

5. **प्रधानमंत्रीग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीडीआईएसएचए (को मंजूरी दी है।
- मार्च 2019 तक ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षरता में प्रवेश कराने के लिए इस परियोजना का कुल परिव्यय 2,351.38 करोड़ रुपये है।
- यह केंद्रीय बजट 2016-17 में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप है।
- पीएमजीडीआईएसएचए को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक होने की उम्मीद है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 में 25 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में 275 लाख और वित्त वर्ष 2018-19 में 300 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की योजना है।
- इसके लिए न्यायसंगत भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक से औसतन 200 से 300 उम्मीदवारों को पंजीकृत किए जाने की उम्मीद है।

- डिजिटल रूप से साक्षर व्यक्ति कंप्यूटर/डिजिटल ऐक्सेस डिवाइसों) जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि (को संचालित करने, ईमेल भेजने व प्राप्त करने, इंटरनेट को ब्राउज करने, सरकारी सेवाओं को ऐक्सेस करने, सूचनाओं के लिए सर्च करने, नकदी रहित लेनदेन करने आदि में समर्थ होंगे। इस प्रकार वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आईटी का उपयोग करेंगे।

**पृष्ठभूमि:**

साल 2014 में शिक्षा पर एनएसएसओ के 71वें सर्वेक्षण के अनुसार, महज 6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर है। इससे यह तथ्य उजागर होता है कि 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों (16.85 करोड़ परिवारों का 94 प्रतिशत) के पास कंप्यूटर नहीं है और इनमें से एक उल्लेखनीय संख्या में परिवारों के डिजिटल रूप से साक्षर न होने की संभावना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू होने वाला पीएमजीडीआईएसएचए ग्रामीण क्षेत्र में 6 करोड़ परिवारों को कवर करेगा और उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाएगा। यह नागरिकों को कंप्यूटर/डिजिटल ऐक्सेस डिवाइस के संचालन के लिए सूचना, ज्ञान एवं कौशल प्रदान करते हुए उन्हें सशक्त बनाएगा।

**6. पीएसएलवी-सी 37 ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया**

- इसरो के पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी 37 ने अपनी 39वीं उड़ान में आज प्रात: सतीशधवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से 103 सहयात्री उपग्रहों सहित 114 किलो कार्टोसेट-2 सीरीज के उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह पीएसएलवी का लगातार 38वां सफल मिशन है। **पीएसएलवी-सी 37** ऑनबोर्ड पर ले जाये गये सभी 104 उपग्रहों का कुल भार 1378 किलोग्राम था।
- पीएसएलवी-सी 37 द्वारा ले जाये गये 103 सहयात्री उपग्रहों में 2-इसरो नैनो सैटेलाइट-1 (आईएनएस-1) वजन 8.4 किलो और (आईएनएस-2) वजन 9.7 किलोग्राम भारत के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह (technology demonstration satellites) हैं।
- बकाया 101 सहयात्री सैटेलाइट उपग्रहों में से अमेरिका के 96 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह( international customer satellites) हैं। इसके अलावा नीदरलैंड, स्विटजरलैंड, इजरायल, कजाखस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के एक-एक उपग्रह शामिल हैं।
- आज के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत के वर्कहॉर्स प्रक्षेपण यान पीएसएलवी द्वारा छोड़े गये विदेशी ग्राहक उपग्रहों की कुल संख्या बढ़कर 180 तक पहुंच गई है।
- पीएसएलवी द्वारा छोड़े गये भारतीय उपग्रहों की संख्या अब 46 हो गई है।

# Record-breaking launch bid focussed on efficiency and costs

Carrying many satellites on a single mission does not involve a technological leap beyond the ability to engineer satellite slots on board

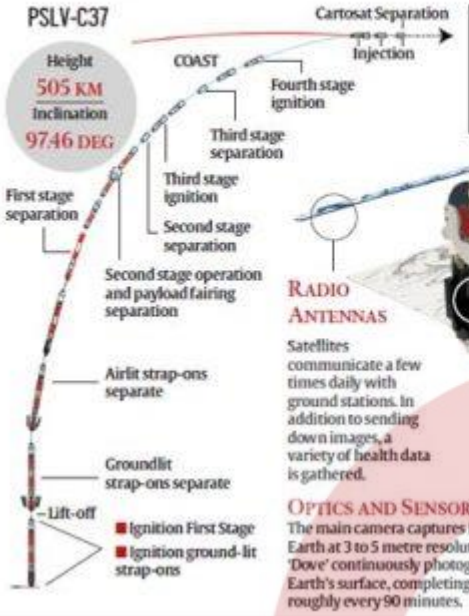


## MEET THE 'DOVE'

Planet's Dove satellites act like a line scanner for the planet, creating a unique data stream that helps solve the world's toughest challenges and triggers industry-changing opportunities.

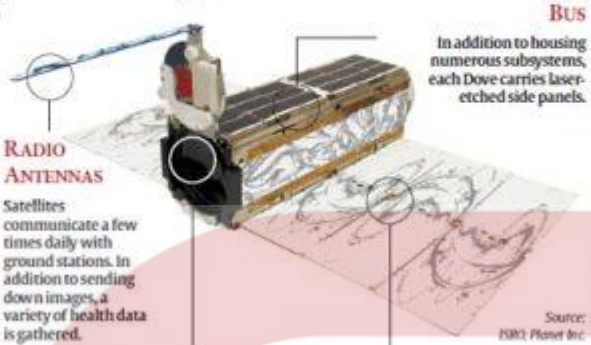

### BUS

In addition to housing numerous subsystems, each Dove carries laser-etched side panels.

### RADIO ANTENNAS

Satellites communicate a few times daily with ground stations. In addition to sending down images, a variety of health data is gathered.

### OPTICS AND SENSORS

The main camera captures images of the Earth at 3 to 5 metre resolution. Each 'Dove' continuously photographs the Earth's surface, completing an orbit roughly every 90 minutes.

### POWER

Solar panels capture the sun's rays to power the satellite, generating electricity that is stored in batteries. The solar panels are spring-loaded, remaining folded into the satellite body before deployment.

Source: ISRO; Planet Inc

## 1 ROCKET, 104 PASSENGERS

### VEHICLE

C37 is the 39th flight of the PSLV. It is the 16th flight of its XL version that can carry up to 1,750-kg payloads to a sun-synchronous orbit of 600 km altitude.

### ROCKET STATS

Mass: 320 tonnes, payload mass: 1,378 kg

### PRIMARY SATELLITE

Cartosat-2 series

### OTHER SATELLITES

- Indian nanosatellites INS-1A and INS-1B
- 88 'Dove' satellites of Planet Inc., USA
- 8 LEMUR satellites of Spire Global Inc, USA
- PEASS satellite of The Netherlands
- DIDO-2 satellite of Switzerland
- BGUSat of Israel
- Al-Farabi-1 satellite of Kazakhstan
- Nayif-1 of UAE

GENERAL STUDIES HINDI